न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस

वाद संख्या : 92/2021

निर्णय दिनांक : 22.12.2023

लाली देवी वगै0 बनाम रामजीलाल वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

निर्णय

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 व 5 अधिवक्ता ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र वादीगण ने इस आशय का पेश किया है कि उक्त सम्पति उनके पूर्वज बद्री नारायण के पिता पूरा की थी तथा प्रतिवादी ने उक्त भूमि का विक्रय पत्र करवा लिया उक्त सम्पति पैतृक है। इसलिए उक्त वाद पत्र में वर्णित भूमि का विक्रय पत्र शुन्य घोषित किया जावे तथा हमें खातेदार घोषित किया जावे। उक्त भूमि मिन प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर काबिज है तथा अन्य सहखातेदारों से अपना तकासमा करवा कर मौके पर निर्विवाद रूप से काबिज है तथा वादीगण ने ना तो पूरा के जीवनकाल में उक्त विक्रय पत्र को कभी विवादित नही किया और ना ही पिता/पति बद्री नारायण ने उक्त विक्रय पत्र को विवादित किया और ना ही किसी प्रकार के हक व हिस्से की मांग की। स्व. पूरा उक्त भूमि का एबशोलूट ऑनर था जिसे अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति बाबत उक्त भूमि का बेचान प्रार्थीगण को किया है। जिसका उसे पूरा पूरा हक व अधिकार था। उक्त दिनांक को वादी व उनके पिता को कोई अधिकार हासिल नही थे इस प्रकार जब वादीगण का कोई अधिकार नही हो तो रेमेडी किसी भी रूप से हासिल नही हो सकती। वादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता। विक्रय पत्र की दिनांक को स्व. पूरा वादग्रस्त भूमि का वास्तविक व पूर्ण स्वामित्व का धनी था। उसे उक्त आराजी बेचान करने का पूर्णरूप से हक व अधिकार था। वादीगण अनुसूचित जनजाति के होने से उन्हे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई अधिकार हासिल नही होते। स्व. पूरा ने अन्य भूमिया भी बेचान की है लेकिन वादीगण ने उन्हे चैलेन्ज नही किया भू–माफियों के सम्पर्क में आकर प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से मिथ्या आधारों पर उक्त वाद पेश किया है तथा प्रार्थीगण ने उक्त भूमि जरिये रजिस[illegible] भूमि का विभाजन करवाकर काबिज काश्त है। कानून विक्रय पत्र [illegible] दावा श्रवण करने श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान [illegible] सजरा दर्शाया है उसमें पूरा के छः [illegible] इस प्रकार 1/7 हिस्सा होता है तथा जिसमें वादीगण जो अपने आपको बद्री नारायण के वारिस बता रहे है वे भी उक्त सजरे में 07 है लेकिन दावा त[illegible]ने किया है बाकी लोगों के बारे में वादीगण ने कोई जिक्र नही किया है। ना ही उन्हें प्रोफार्मा पक्षकार बनाया है इस प्रकार वाद पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर भी विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है तथा वादीगण अपनी रिलिफ में 1/4 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:54:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

की मांग की है लेकिन सजरे का अवलोकन करने से किसी भी रूप में 1/4 हिस्सा वादीगण का दर्शित नही हो रहा इस प्रकार जब कोई अधिकार दावें के अनुसार ही नही है तो उनकी रिलिफ भी नही दी जा सकती, इस प्रकार उक्त वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण/वादीगण अधिवक्ता ने बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण ने माननीय न्यायालय को गुमराह करके यह प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधि में सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी रीति से पोषनीय नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विवादग्रस्त भूमि का मौखिक तौर पर बंटवारा किया हुआ है किसी प्रकार से न्यायालय के जरिये बंटवारा नही हुआ है तथा तकासमा कराये बिना भूमि प्रतिवादीगण बैचान करने पर आमदा है और प्रार्थीगण की भूमि भी बेचने पर आमदा है। यहां यह बताना आवश्यक है कि उक्त वाद में वर्णित विवादग्रस्त चल अचल सम्पति पूरा की स्वअर्जित सम्पति नही होकर पूरा के पिता की सम्पति है जिस बाबत पत्रावली में जमाबन्दी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। अप्रार्थीगण द्वारा पूरा से धोखे से उक्त विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिये गये थे इस कारण वादीगण द्वारा विक्रय पत्र के निरस्तीकरण हेतु वाद पत्र भी सिविल न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 17 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर जयपुर में पेश किया जिसका उनवान लाली देवी बनाम गौरा देवी है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.08.2021 के तहत भी अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का खारिज फरमा दिया गया था जिसके पश्चात इस वाद में यह प्रार्थना पत्र पेश कर दिया इस प्रकार एक ही वस्तुस्थिति व एक ही पक्षकारान होने के कारण उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पोषनीय नही है। वादीगण के पिता/पति बद्रीनारायण जो कि पूरा के पुत्र थे तथा प्रतिवादीगण के पति/पिता रामजीलाल, हनुमान सहाय, रामनाथ भी पूरा के पुत्र है उक्त तीनों की पत्नियों के नाम पूरा ने जरिये विक्रय पत्र पूरा से जबरन डरा धमका कर उसकी इच्छा के विपरित उसे बताये बिना सम्पति का हस्तान्तरण करवाया गया है जिस सम्पति के हस्तान्तरण बाबत किसी प्रकार की धनराशि या प्रतिफल का कोई लेन देन पूरा से नही किया गया है। माननीय सिविल न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है उसमें माननीय न्यायालय ने यह तथ्य स्वीकृत किये है कि वादीगण के पिता/पति बद्रीनारायण पूरा का पुत्र था तथा प्रतिवादीगण के पति रामजीलाल व हनुमान सहाय व रामनाथ भी पूरा के पुत्र है उक्त तीनों की पत्नी के नाम पूरा जरिये विक्रय पत्र सम्पति का हस्तान्तरण किया है जिसे वादीगण ने कपटपूर्ण होना बताते हुए यह वाद पत्र पेश किया है। परन्तु माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट माना है कि वादीगण के पति/पिता बद्रीनारायण पूरा का जायज वारिस था जो कि प्रतिवादीगण के पति का भाई [illegible] इस [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से [illegible] न्यायालय ने प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से कोई अनुतोष [illegible] है। प्रतिवादीगण ने झूंठे तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योंकि प्रतिवादीगण विभिन्न न्यायालयों में इस वाद में वर्णित विवादग्रस्त सम्पति के सम्बन्ध में मुकदमों में सफल नही हो सके तो प्रार्थना पत्र पेश किया जो कि खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपपंजीयक [illegible] अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बद्रीनारायण के हिस्से स्वामित्व की कृषि आराजीयात को हडप करने पर आमदा है तथा वाद पत्र में वर्णित भूमि पर वर्तमान में वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने प्रकरण संख्या 561/2021 उनवानी लाली देवी बनाम रामजीलाल में भी आदेश पारित कर कथन किया कि दिनांक 04.07.2021 एवं 25.08.2021 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण किये बगैर सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील आदेश दिनांक 25.08.2021 पारित करते हुए अन्तरिम निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 14.07.2021 को निष्प्रभावी कर दिया गया जो न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि कारित की है एवं पुनः माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था। इस प्रकार प्रतिवादीगण किसी भी रीति से उक्त वाद को उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के जरिये खारिज कराने की पात्रता नही रखते है। प्रतिवादीगण ने माननीय न्यायालय को गुमराह किया है प्रतिवादीगण क्लीन हैण्डस से नही आये है माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार जो व्यक्ति क्लीन हैण्डस से नही आता वो किसी प्रकार अनुतोष व राहत प्राप्त करने की पात्रता नही रखता है उसी प्रकार प्रतिवादीगण उक्त प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर क्लीन हैण्डस से नही आये वास्तविकता को छिपाया है न्यायालय को गुमराह कर प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता की ओर से निम्न कानूनी दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये 2021(2) RRT 535, 2021(1) RRT 27, 2021(1) RRT 500, 2015(2) RRT 1221, 2010(1) RRT 124

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली मे दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आरजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया जिसको वादीगण द्वारा पूरा तथा बद्रीनारायण के जीवनकाल में कभी भी कोई चुनौती नही दी है तथा वादीगण द्वारा उक्त वाद के माध्यम से विक्रय पत्र को प्रभावशुन्य घोषित करवाने के अनुतोष की मांग की है, इस न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज शुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है, पंजीकृत दस्तावेज को शुन्य घोषित करवाने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय में निहित है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध दिनांक 21.06.2021 को वादकारण उत्पन्न होना अंकित किया है इस सन्दर्भ में प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल पुत्र पुराराम मीणा का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल की दिनांक 21.12.2005 को ही मृत्यु हो चुकी है, जबकि पैरा संख्या 11 व 15 में प्रतिवादी [illegible] कथित दिखाया गया है, जिससे वादकारण असत्य प्रतीत होता है [illegible] स्पष्ट है कि वादीगण को दिनांक 21.06.2021 को कोई [illegible] है तथा वादीगण द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत [illegible] वर्तमान में वादीगण द्वारा गलत वादकारण के आधार पर वाद प्रस्तुत कि[illegible]या है, इसलिए वादीगण का वाद विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:54:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर [illegible] (सांगानेर)

हल्का श्योपुर, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 100, 101 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 1057/6, 1059/9, 1052/4, 1054/5, 3/1077, 1053/4, 1055/5, 1056/6, 1058/9 कुल किता 9 रकबा 1.44 है0 को खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:54:23 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगनेर** मुकाम जयपुर व इजलास **महीपाल सिंह, आर.ए.एस.**

वाद पत्र संख्या : 92/2021

1. लाली देवी पत्नि स्वर्गीय श्री बदीनारायण
2. राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय श्री बद्रीनारायण
3. राजू लाल पुत्र स्वर्गीय श्री बद्रीनारायण

समस्त जातियान् मीणा, निवासीयान ग्राम नगरियावाला, खोडा की ढाणी, पटवार हल्का श्योपुर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र पूरा उर्फ पुरिया
2. हनुमान सहाय पुत्र पूरा उर्फ पुरिया
3. रामनाथ पुत्र पूरा उर्फ पुरिया
4. गौरा देवी पत्नि रामजीलाल
5. लाली देवी पत्नि हनुमान सहाय
6. रूकमा देवी पत्नि रामनाथ

समस्त जातियान् मीणा, निवासीयान ग्राम नगरियावाला, खोडा की ढाणी, पटवार हल्का श्योपुर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

7. गोपाली देवी पत्नि रामकेश मीणा, निवासी ए–14, सिद्धार्थ कॉलोनी, जगतपुरा रोड, जयपुर।
8. स्वरूपी देवी पत्नि रामप्रसाद मीणा, निवासी 106, खोडा की ढाणी, ग्राम नगरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
9. ग्यारसीलाल दत्तक पुत्र बालू, जाति मीणा, निवासी ग्राम नगरियावाला, खोडा की ढाणी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
10. श्रवणलाल पुत्र जगन्नाथ उर्फ जग्गा, जाति मीणा, निवासी ग्राम नगरियावाला, खोडा की ढाणी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
11. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक, सांगानेर–प्रथम, नगर निगम रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:54:23 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल पेश समक्ष उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय सांगानेर व हाजिरी वकील वादीगण मिन जानिब मुद्दई रूबरू मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बाबत् ग्राम नगरियावाला, पटवार हल्का श्योपुर,

उपखण्ड अधिकारी
(जयपुर द्वितीय सांगानेर)
मुकाम द्वितीय सांगानेर

भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 100, 101 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 1057/6, 1059/9, 1052/4, 1054/5, 3/1077, 1053/4, 1055/5, 1056/6, 1058/9 कुल किता 9 रकबा 1.44 है0 को खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

ओहदा .....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वहसबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हरदी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:54:23 IST
Reason: SelfAttested